


## सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर यूनियोपल/होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 30.06.2019 तक कुल 02 वर्ष हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 13.06.2017 की सांय 5.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:-

क्रम सं०	मार्ग का नाम	यूनियोपल/होर्डिंग हेतु कुल साईट	निगम द्वारा विज्ञापन हेतु आरक्षित निविदा धनराशि
1	राजपुर रोड एंव मसूरी डाईवर्जन से राजपुर, चकराता रोड, सहारनपुर रोड, जी0एम0एस0रोड, सहस्त्रधारा रोड, रायपुर रोड, रेसकोर्स, रैस्ट कैम्प, हरिद्वार रोड, पन्त रोड लैन्सडौन चौक, न्यू कैंट रोड तथा धर्मपुर डाडा अम्बीवाला गुरुद्वारा रोड	225	79142085/-

निविदा के साथ निविदा सूचना प्रपत्र में अंकित 10 प्रतिशत धनराशि रू0-7914209/-की सी0डी0आर0/संलग्न करनी अनिवार्य होगी। जो नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून के नाम प्लेज होगी। निविदायें सीलबन्द लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्वयं के द्वारा उपलब्ध करायी जानी होगी। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदायें दिनांक 14.06.2017 को प्रातः 10.30 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से किसी भी कार्यदिवस में नगर निगम कार्यालय से दिनांक 13.06.2017 सांय 04.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नगर निगम की वेबसाईट [www.naggarnigamdehradun.com](http://www.naggarnigamdehradun.com) पर भी उपलब्ध है।

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, देहरादून

  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, देहरादून


## कार्यालय नगर निगम, देहरादून।


पत्रांक:- 31.33./भूमि-2017,

दिनांक:- 24/5/17

प्रतिलिपि:-

- सम्पादक " हिन्दुस्तान समाचार पत्र " को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- सम्पादक " हिन्दुस्तान टाइम्स " अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नोटिस बोर्ड नगर निगम/कलैक्ट्रेट पर चस्था हेतु।
- कार्यालय प्रति।

  
नगर आयुक्त,  
नगर निगम, देहरादून।



## कार्यालय नगर निगम, देहरादून।



(का०- 0135-2714074; फ़ैक्स-0135-2651060; ई-मेल-nagarnigam.ddn@gmail.com)

यूनिपोल के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु निविदा फार्म।

1. निविदा दाता का नाम :- .....
2. निविदादाता का पता :- .....
3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम :- .....
4. जमानत धनराशि :- रू० .....(शब्दों में) .....
5. एफ०डी०आर० / सी०डी०आर० नं० :- .....
6. बैंक का नाम :- .....
7. यूनिपोल / होर्डिंग स्थल :- राजपुर रोड एवं मसूरी डाईवर्जन से राजपुर, चकराता रोड, सहारनपुर रोड, जी०एम०एस०रोड, सहस्रधारा रोड, रायपुर रोड, रेसकोर्स, रैस्ट कैम्प, हरिद्वार रोड, पन्त रोड लैन्सडौन चौक, न्यू कैंट रोड तथा धर्मपुर डाडा अम्बीवाला गुरुद्वारा रोड।
8. निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली निविदा राशि अंकों में :- रू० .....  
(शब्दों में) .....

निविदादाता दाता के हस्ताक्षर :- .....

निविदादाता का नाम :- .....

निविदादाता का पूरा पता :- .....

### निविदा की शर्तें एवं प्राविधान

1. स्वीकृति दिनांक 01 जुलाई 2017 से दिनांक 30.06.2019 तक के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि रू०-79142085 निर्धारित है।
3. निविदा के साथ रू० 7914209/- की धनराशि की सी०डी०आर० / एफ०डी०आर० संलग्न करनी अनिवार्य है।
4. धरोहर / जमा धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम के नाम प्लेज करनी अनिवार्य होगी।
5. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय आयकर क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स नं०, पैनकार्ड, फर्म का रजिस्ट्रेशन नं०, आदि प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. विज्ञापन फर्म को स्वीकृत निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।
7. यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
8. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंकों में लिखें जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे।
9. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. निविदादादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत 03 दिन के अन्दर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि छः माह के अन्दर निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।
11. स्वीकृत निविदादाता द्वारा उपरोक्त साइटों में से 04 यूनिपोल/होर्डिंग साइटें सरकारी विज्ञापनों के लिये आरक्षित रखनी होगी।
12. किसी यूनिपोल/होर्डिंग साइट पर विवाद की स्थिति में साइट घटाने/बढ़ाने का अधिकार नगर निगम के पास सुरक्षित होगा।
13. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार व उसके सगे सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
14. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
15. मार्ग के किनारें लगे/लगाये जाने वाले यूनिपोल/होर्डिंग की उंचाई सड़क से मीटर 06 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा किन्ही 02 यूनिपोल के मध्य दूरी 20 फिट से कम नहीं होगी तथा कोई भी यूनिपोल चौराहों से 25 मीटर से कम दूरी पर नहीं लगाया जायेगा।
16. मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले होर्डिंग का साईज 6 x 3 मीटर से अधिक नहीं होगा।
17. रोड डिवाइडर के मध्य लगने वाले वाले यूनिपोल की उंचाई जमीन से 30 फिट होनी अनिवार्य है।
18. यूनिपोल/होर्डिंग इस प्रकार लगाया जाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।
19. यूनिपोल/होर्डिंग चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य यूनिपोल/होर्डिंग नहीं लगाये जायेंगे।
20. यूनिपोल/होर्डिंग सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई धनराशि देय नहीं होगी।
21. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है कि तो प्रति यूनिपोल/होर्डिंग अर्धदण्ड वसूल किया जायेगा।
22. यूनिपोल/होर्डिंग पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा यूनिपोल/होर्डिंग पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वयं के व्यय पर करना होगा।
23. यूनिपोल/होर्डिंग के मेन्टीनेन्स रंगाई पुताई सम्बन्धी खर्च भी सम्बन्धित फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
24. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई यूनिपोल/होर्डिंग को हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घण्टों के अन्दर हटाना होगा।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
26. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
27. निविदादाता द्वारा दिनांक 30.06.2019 तक विज्ञापन सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

28. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।
29. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
30. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0-एस0पी0ए0 39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा।
31. कतिपय परिस्थितियों वश जब तक पुनः निविदा न हो जाये अथवा स्वीकृति को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है। जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।
32. निविदादात द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नहीं लगाया जायेगा। यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी भी सगे सम्बन्धी, उसके ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता पर प्रति विज्ञापन नियमानुसार अर्थदण्ड लगाया जायेगा व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
33. यूनिपोल/होर्डिंग पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक से अन्तिम तक संख्या स्पष्ट रूप से लिखा जाना भी अनिवार्य होगा।
34. उपरोक्त यूनिपोल/होर्डिंग पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था भी फर्म को स्वयं करनी होगी।
35. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिंग, बिजली के खम्बों पर लगे क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वयं का होगा। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0-39 वर्ष 2012 का अनुपालन भी करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डिकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
36. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक, भूमि  
नगर निगम, देहरादून।